23/12/2020

राज्य द्वारा डी.पी.ओ श्री के.के. चतुवेर्दी उपस्थित।

अभियुक्त नंदकुमार उर्फ नंदू यादव सहित श्री महेन्द्र कौशल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण अपराध विवरण हेतु नियत हैं

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से आरोपी नंदकुमार उर्फ नंदू यादव द्वारा धारा 294,323 भारतीय दण्ड संहिता, 1960 का अपराध किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अतः आरोपी नंदकुमार उर्फ नंदू यादव के विरूद्ध धारा 294,323 भारतीय दण्ड संहिता, 1960 का अपराध विवरण पृथक से तैयार कर आरोपी को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिस पर आरोपी ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा गया।

आरोपी की प्ली उसी के शब्दों में दर्ज की गई।

धारा 294 द०प्र०सं० के परिपालन में आरोपी से अभियोजन के दस्तावेजों के सत्यता के संबंध में पूछा गया, जिस पर आरोपी ने अभियोजन के दस्तावेजों की सत्यता से इंकार किया है।

अपराध विवरण की प्रति एवं धारा294 द०प्र०सं० की प्रति अभियोजन को दी जावें।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

इसी स्तर पर प्रार्थिया आसमति ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 (2) दंड प्रक्रिया संहिता,1973 राजीनामा की अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थिया की पहचान श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः उपस्थित प्रार्थिया प्रथम दृष्टियां अपराध के शमन करने हेतु सक्षम व्यक्ति प्रतीत होता है।

आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान की गई। अभियोजन द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। प्रस्तुत आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्टतः दृष्टिगत होता है कि आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 323 भारतीय दंड संहिता 1860 का अपराध पंजीबद्ध है। धारा 294 भारतीय दंड संहिता, 1860 मध्यप्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन अधिनियम

1999 के अनुसार धारा 320 (2) की सारणी अनुसार न्यायालय की अनुमति के पश्चात शमनीय प्रकृति की है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त है। धारा 323 न्यायालय की अनुमति के बिना पीडित व्यक्ति के द्वारा शमनीय है। उभयपक्ष ने यह व्यक्त किया कि उनके मध्य अब मधुर संबंध स्थापित हो चुके है। अतः प्रार्थिया से पूछताछ कर उसका राजीनामा बयान लेखबद्ध किया गया। उसके द्वारा बिना किसी डर, भय, लालच एवं दबाव के अभियुक्त के साथ राजीनामा करना व्यक्त किया गया । अतएव प्रार्थिया को धारा 294, 323 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अपराध का शमन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसी स्तर पर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320 (8) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 वास्ते अभियुक्त को दोष् मुक्त किये जाने बाबत पेश किया गया।

चूंकि 320 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत अपराध का शमन किसी भी प्रकरण पर किया जा सकता है तथा प्रार्थिया को धारा 294, 323 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अपराध के शमन हेतु अनुमित प्रदान की जा चुकी है। अतः उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छापूर्वक हुए समझौते के कारण किये गये अपराध के शमन के आधार पर विचारोपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर आरोपी को धारा 294, 323 भारतीय दंड संहिता, 1860 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

प्रकरण में कोई भी संपत्ति जप्त नहीं है।

अभियुक्त को उसके जमानत मुचालके से उन्मुक्त किया जाता है।

प्रकरण में अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि निरंक है।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर अभिलेख विधिवत' सुव्यवस्थित कर नियमित समयावधि के भीतर अभिलेखागार भेजा जावें।

प्रकरण समाप्त।

(आरती ठाकुर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट ,प्रथम श्रेणी
कोण्डागांव (छ०ग०)